बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–03/उ०नि०/कलस्टर प्रशिक्षण/12–01/2017 .... पटना, दिनांक:–..............................

प्रेषक,

एस0 सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत मोरातालाब फुटवियर कलस्टर, मोरातालाब रहुई नालंदा के एस.पी.भी के सभी सदस्यो को फुटवियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट बिहटा,पटना में आधुनिक मशीनो के संचालन पर होने वाले 5 दिनो का आवासीय प्रशिक्षण हेतु कुल राशि ₹3,67,500/–(तीन लाख सरसठ हजार पॉच सौ रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 के अंतर्गत मोरातालाब फुटवियर कलस्टर, मोरातालाब रहुई नालंदा को पायलाट प्रोजक्ट के रूप मे विकसित किया जा रहा है। अत संबंधित कलस्टर के एस.पी.भी के सभी सदस्यो को कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत फुटवियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट बिहटा, पटना में आधुनिक मशीनो के संचालन पर होने वाले 5 दिनो का आवासीय प्रशिक्षण हेतु कुल राशि ₹3,67,500/– (तीन लाख सरसठ हजार पॉच सौ रूपये) की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. 49 सदस्यो का एस.पी.भी गठन किया गया है कि जिन्हे 5 दिनों का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3. एस.पी.भी के सभी सदस्य अनुसूचित जाति के है।

4. 5 दिन के कोर्स के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन प्रशिक्षण व्यय ₹1500/– निर्धारित की गई है। प्रशिक्षणार्थीयो पर होने वाले व्यय शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

5. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट उपबंध में यथेष्ट राशि से उपलब्ध करायी जाएगी।

बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता :–

क्र0सं0	बजट शीर्ष का नाम	स्वीकृत राशि
(i)	मुख्यशीर्ष–2852 उद्योग,उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,लघु शीर्ष--789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0102–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड P2852807890102, राज्य योजना स्कीम कोड– IND-5428, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	**₹3,67,500.00**
	कुल राशि :–	**₹3,67,500.00** (तीन लाख सरसठ हजार पॉच सौ रूपये)

6. एस.पी.भी के सदस्यो को मोरातालाब से फुटवियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट बिहटा, पटना तक ले जाने और ले आने का वास्तविक व्यय अलग से दिया जाएगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, लेखा, उद्योग निदेशालय, बिहार,पटना होगें, जो नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी **BTC** फार्म 42 पर एकमुश्त कर आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **फुटवियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट (FDDI)** बिहटा पटना को उपलब्ध करायेगें।

8. इस योजना के मुख्य नियंत्री पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें। वे इस योजना का अनुश्रवण करेगें। कार्यान्वयन ऐजेंसी **फुटवियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट (FDDI) बिहटा** पटना से विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर समुचित जांचोपरांत महालेखाकार कार्यालय, बिहार,पटना को भेजते हुए इसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

9. स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अंतर्गत है। इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड–**IND-5428** है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड एवं योजना कोड अंकित करेगें।

10. यह राज्यादेश संचिका संख्या–*03/उ०नि०/कलस्टर प्रशिक्षण/12–01/2017* के पृष्ट–.........../टि0 पर दिनांक–.................. को प्राप्त आन्तरिक वित्तीय सलहाकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। जिसका डायरी सं0–........../**OSD**, दिनांक–..................है।

11. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि(2)दिनांक–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि0(2) दिनांक–17. 04.1998 की कंडिका–2 एवं 15 एवं पत्रांक–2938 वि (2) दिनांक–08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा, तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. वित विभागीय पत्रांक–7355/वि(2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में स्वीकृत राशि के निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

9/3/2017

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................./ पटना, दिनांक.........................
प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/2017

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................./ पटना, दिनांक.........................प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/2017

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................./ पटना, दिनांक.........................
प्रतिलिपिः– **फुटवियर डिजाईन एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट (FDDI)** बिहटा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/2017

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 705 / पटना, दिनांक 10.3.17
प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय–व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय,बिहार,पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01(स0),(बजट),उद्योग विभाग,बिहार,पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा–03, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ/उप उद्योग निदेशक,(योजना) उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/2017

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive_ranjan_Dhirendra sir_\Sanction Order/2015-16---------111